IMMIGRATION ADVISERS AUTHORITY

न्यूज़ीलैंड लाइसेंस प्राप्त इमीग्रेशन (अप्रवासन) सलाहकार

प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स (व्यवसाय-संबंधी मानक)

न्यूज़ीलैंड लाइसेंस प्राप्त इमीग्रेशन सलाहकार कुशल लोग हैं जिन्होंने इमीग्रेशन सलाहकार योग्यता मानकों को पूरा किया है और जो एक व्यावसायिक आचार संहिता का पालन करते हैं।

आपके न्यूज़ीलैंड इमीग्रेशन सलाहकार को या तो इमीग्रेशन (अप्रवासन) सलाहकार प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए या इससे छूट पाया हुआ होना चाहिए। यह देखने के लिए कि क्या किसी व्यक्ति के पास लाइसेंस है या छूट प्राप्त समूहों को देखने के लिए, प्राधिकरण की वेबसाइट www.iaa.govt.nz पर जाएं।

लाइसेंस प्राप्त इमीग्रेशन (अप्रवासन) सलाहकार आचार संहिता

आचार संहिता सुनिश्चित करती है कि आपका लाइसेंस प्राप्त इमीग्रेशन सलाहकार:

- आपको सबूत दिखाएं कि वे लाइसेंस प्राप्त हैं
- ईमानदार, पेशेवर, मेहनती और सम्मानजनक हैं
- उचित सावधानी से और समयबद्ध तरीके से आचरण करें
- आपको निष्पक्ष सलाह दें
- हितों के किसी भी टकराव की घोषणा करें, जिसमें उन्हें प्राप्त होने वाला कमीशन भी शामिल है, और आपके लिए काम करना जारी रखने के लिए आपकी मंजूरी लें
- कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हस्ताक्षर करने के लिए आपको एक लिखित समझौता प्रदान करें जो प्रदान की जाने वाली सेवाओं और शुल्क को निर्धारित करता है
- न्यायोचित और उपयुक्त फीस चार्ज करें
- फीस किससे संबंधित है, इसके पूरे विवरण के साथ आपको बिल प्रदान करें
- आपको यह बताएं कि आपका आवेदन कब दर्ज किया गया है और आपको समय-समय पर अपडेट प्रदान करें
- आपके व्यक्तिगत कागजातों को सुरक्षित रखें और उन्हें सुरक्षित तरीके से आपको वापस करें।

यदि आपको अपने लाइसेंस प्राप्त इमीग्रेशन सलाहकार के साथ कोई मुश्किल आती है तो आपको उनके साथ मिलकर इसे हल करने का प्रयास करना चाहिए।

यदि आपको सहायता की जरूरत है, तो प्राधिकरण से संपर्क करें।

प्राधिकरण से शिकायत करने से आपके वीसा आवेदन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इमीग्रेशन (अप्रवासन) सलाहकार प्राधिकरणः

- यह सुनिश्चित करता है कि केवल उपयुक्त लोगों को इमीग्रेशन सलाह प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिया गया है
- लाइसेंस प्राप्त इमीग्रेशन सलाहकारों का एक सार्वजनिक रजिस्टर रखता है
- लाइसेंस प्राप्त सलाहकारों के लिए योग्यता मानकों और आचार संहिता का विकास और देखभाल करता है
- इमीग्रेशन एडवाइजर्स लाइसेंसिंग एक्ट (अप्रवासन सलाहकार लाइसेंसिंग अधिनियम) 2007 के तहत अपराधों के खिलाफ जाँच करता है और प्रवर्तन कार्रवाई करता है, जैसे कि लाइसेंस न होने और न ही छूट मिली होने पर सलाह देना
- लाइसेंस प्राप्त इमीग्रेशन सलाहकारों के बारे में शिकायतें प्राप्त करता है और यदि उचित हो, तो उन्हें इमीग्रेशन सलाहकार शिकायत और अनुशासनात्मक न्यायाधिकरण के पास भेजता है जो शिकायत की सुनवाई करेंगे और प्रतिबंध लगा सकते हैं।

प्राधिकरण आपके वीज़ा आवेदन में आपकी मदद नहीं कर सकता है।

अधिक जानकारी और लाइसेंस प्राप्त इमीग्रेशन सलाहकार आचार संहिता के लिए **www.iaa.govt.nz** पर जाएं।

प्राधिकरण संपर्क विवरण

info@iaa.govt.nz 0508 422 422
www.iaa.govt.nz +64 9 925 3838

यह देखने के लिए **www.iaa.govt.nz** पर **पर क्लिक करें**

लाइसेंस प्राप्त पेशेवर संरक्षित प्रवासी

MINISTRY OF BUSINESS, INNOVATION & EMPLOYMENT
HĪKINA WHAKATUTUKI

Te Kāwanatanga o Aotearoa
New Zealand Government

MB14069 02/23 HINDI